न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3354 /विधि सहरसा, दिनांक 22-11-2023

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण पुन0 वाद सं0–33/2019 में दिनांक–14.11.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख (आदेश फलक–07 पृ0 एवं अन्य कागजात–241 पृ0) कुल–248 पृ0 मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

प्रतिलिपिः– सियाराम यादव, पिता–स्व0 कुसुमलाल गोप एवं अन्य सा0–कोरियापट्टी, भाया–जदिया त्रिवेणीगंज, सुपौल एवं दिलीप कुमार सिंह /प्रदीप कुमार सिंह /पंकज कुमार सिंह /पवन कुमार सिंह, कोरियापट्टी जदिया, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

22/11/23

for, प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

दिनांक 03.05.2019 को पारित आदेश के पुनर्विचार हेतु [illegible]
है, जिसमें दिलीप कुमार सिंह व अन्य 06 (छः) संभी सा0–कोरियापट्टी (पूर्वी), थाना–जदिया, अंचल+अनुमंडल–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल को विपक्षी सं0–02 बनाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा/थाना नं0	खाता (पुराना)	खेसरा (पुराना)	रकवा	अभ्युक्ति
कोरियापट्टी/298	777	3492	13–14–01 (तेरह बिघा चौदह कट्ठा 01 धूर)	

वादीगण का मूल रूप से कहना है कि विपक्षीगण के द्वारा अपर समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में बिहार भूमि सुधार नियम–2011 के धारा–9 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–170/2015 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 11.05.2018 को आदेश पारित करते हुए वादीगण के पूर्वज कुसुमलाल गोप के नाम से चल रही जमाबंदी सं0–417 से खाता–777,

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

जमाबंदी पुनरीक्षणवाद संख्याः-33/2019

सियाराम यादव एवं अन्य.....पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत जमाबंदी पुनरीक्षणवाद श्री सियाराम यादव पिता-स्व0 कुसुमलाल गोप एवं अन्य सात, सभी सा0-कोरियापट्टी (पूर्वी), टोला-राजगांव, अनुमंडल+अंचल-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द वाद संख्या-08/2018 सियाराम यादव वगैरह बनाम दिलीप कुमार सिंह वगैरह में **दिनांक 03.05.2019 को पारित** आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसमें दिलीप कुमार सिंह व अन्य 06 (छः) सभी सा0-कोरियापट्टी (पूर्वी), थाना-जदिया, अंचल+अनुमंडल-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल को विपक्षी सं0-02 बनाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा/थाना नं0	खाता (पुराना)	खेसरा (पुराना)	रकवा	अभ्युक्ति
कोरियापट्टी/298	777	3492	13-14-01 (तेरह बिघा चौदह कट्ठा 01 धूर)	

वादीगण का मूल रूप से कहना है कि विपक्षीगण के द्वारा अपर समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में बिहार भूमि सुधार नियम-2011 के धारा-9 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-170/2015 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 11.05.2018 को आदेश पारित करते हुए वादीगण के पूर्वज कुसुमलाल गोप के नाम से चल रही जमाबंदी सं0-417 से खाता-777,

खेसरा-3492, रकवा-10-0-0 बीघा (दस बीघा) अन्तरलेपन को आधार बनाते हुए विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण के द्वारा समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में जमाबंदी रद्द अपीलवाद सं0-08/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 08.05.2019 को आदेश पारित करते हुए वादीगण के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट कर दिया गया। समाहर्त्ता, सुपौल के उक्त आदेश के पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत वाद लाया गया है। वादीगण का कहना है कि उनलोगों के पूर्वज कुसुमलाल गोप व सरयुग गोप व अवध गोप व वीरन गोप सभी पिता-अजैब गोप के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार नागेन्द्र नारायण सिंह व बाबू शिवेन्द्र नारायण सिंह, पिता-स्व0 बाबू पंचम नारायण सिंह से खाता-777, खेसरा-3492 के रूप में प्राप्त हुआ। बन्दोवस्ती के समय उक्त 10 बीघा भूमि की जमाबंदी भूतपूर्व जमीन्दार के नाम से चल रही थी तथा उक्त भूमि पर उनके पूर्वज लगान अदाकर खेती कर रहे थे। साथ ही कुसुमलाल गोप की खतियानी भूमि खाता (पुराना)-449, खेसरा(पुराना)-4505, रकवा 2-7-8 धूर थी, जिसे विपक्षीगण स्वीकार करते हैं। वर्ष 1951 में बिहार सरकार के अधीन उक्त दोनों भूमि कुल रकवा-12-7-8 बीघा की जमाबंदी सं0-417 अंचल सिरिस्ता पंजी-॥ में कायम हुई तथा वर्ष 1958-59 तक कलेक्टरी रसीद प्राप्त किया जाता रहा। वादीगण का कहना है कि उक्त भूमि में से 0-4-13 धूर तथा 0-2-10 धूर भूमि कुसुमलाल गोप के द्वारा अन्य किसी को बेच दिया गया। उक्त बिक्री के पश्चात 12-0-3 धूर भूमि कुसुमलाल गोप में दखल में 1935 से 2017-18 तक रहा। वादीगण का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के भूमि से कुछ दूरी पर स्थित है। उनके द्वारा अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज से सूचना मांगे जाने पर दिनांक 14.10.2016 को सूचित किया गया कि मौजा-कोरियापट्टी, थाना नं0-298 अन्तर्गत जमाबंदी संख्या-1209 बनाम राधाबल्लभ सिंह वो श्याम नन्दन सिंह, पे0 कमला प्रसाद सिंह के नाम से रकवा 10-4-8 धूर पंजी पर संधारित है। पंजी पर खाता-खेसरा अंकित नहीं हैं तथा उक्त जमाबंदी की भूमि को जमाबंदी संख्या-4076/1211 पर राधाबल्लभ सिंह व श्यामनन्दन सिंह, पे0-कमला प्रसाद सिंह के नाम से बिना किसी आदेश के दर्ज कर दिया गया है। साथ ही पंजी पर अलग

स्याही से खाता, खेसरा वो रकवा दर्ज कर दिया गया है। पुनः सूचना मांगे जाने पर दिनांक 11.12.2017 को इसी आशय की सूचना दी गई। उक्त के आधार पर अपीलार्थी का कहना है कि निबंधित केवाला-5297/1956, जमाबंदी नं0-1209, 4076/1211, 4077/1209, 4076/1209 बिल्कुल फर्जी है, जो बिना किसी दाखिल खारिज वाद संख्या तथा सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अंकित कर दिया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया गया। वादीगण का कहना है कि विपक्षीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में बताया गया कि खेसरा 3492 की 5-13-4 धूर के साथ अन्य रकवा 10-1-19 धूर जमीन कमला प्रसाद सिंह व लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह से केवाला सं0-6135/1959 से प्राप्त किया, जिसका जमाबंदी सं0-1349/5877 है किन्तु उक्त जमाबंदी में रकवा 5-13-14 अथवा 10-1-19 धूर अंकित नहीं है। बल्कि रकवा 7-4-5 धूर अंकित है तथा खाता/खेसरा अंकित नहीं है। इस आशय की सूचना दिनांक 15.12.2017 को दी गई है। इससे केवाला सं0-6136/1959 में दर्ज प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी 1349/5877 नहीं है। वादीगण के अनुसार उक्त निबंधित केवाला नं0-6135/1959 का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है, इसलिए उक्त केवाला सं0-11890 दिनांक 11.12.1968 विक्रेता कैलू मंडल के नाम से कोई जमाबंदी नहीं है। इस कारण उनके अनुसार विपक्षीगण की जमाबंदी गलत है। वादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उनलोगों का वर्ष 1935 से दखल कब्जा है तथा रकवा-12-07-08 धूर भेस्टिंग रिटर्न की जमाबंदी संख्या-417 उनके पूर्वज कुसुमलाल गोप एवं अन्य के नाम से कायम थी तथा वर्ष 1951 से 1958-59 तक कलेक्टिंग रसीद तथा अंचल सिरिस्ता के रजिस्टर-II में कुल रकवा 12-07-08 धूर वर्ष 1968 तक लगान जमा किया किया गया। उक्त के आलोक में वादीगण के द्वारा गलत तथा गैरकानूनी जमाबंदी सं0-1209, 1349, 2959 को रद्द करने तथा अपनी जमाबंदी सं0-417 को सही बताते हुए निम्न न्यायालय आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

वादीगण की ओर से निम्न कागजात दाखिल किया गया है :-

विपक्षीगण की ओर से बहस में भाग लेते हुए तथा

दाखिल लिखित बहस में उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सुपौल में उनके द्वारा दायर जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-170/2015 में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्न न्यायालय के द्वारा पाया गया कि खाता-449, खतियानी-रैयत बाला गोप एवं अजब गोप के नाम रकवा 02-08-08 धूर अंचल सिरिस्ता के पंजी-॥ जमाबंदी सं0-417 के रूप में दर्ज था। कई लगान रसीद भी निर्गत है। वर्ष 1965 के बाद हल्का स्तर पर जमाबंदी पुनः लिखित करके लगान वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, लेकिन वाद में गलत वो जाली अनिबंधित परमानगी के आधार पर जमाबंदी संख्या-417 में हेराफेरी कर रकवा के आगे 01 जोड़कर 12-08-08 बीघा बना दिया गया तथा पंजी-॥ में खाता खेसरा भी दर्ज कर दिया गया, लेकिन लगान 5.19 रूपया ही रहा। उनके द्वारा पाया गया कि पूर्व में जमाबंदी पर केवल खाता 449 ही दर्ज था। खेसरा दर्ज नहीं था। लेकिन बाद में अंतरलेपन कर खाता-खेसरा अंकित किया जाना पाया गया। उक्त परीक्षण के आधार पर उनके द्वारा जमाबंदी संख्या-417 से खाता-777 खेसरा-3492 रकवा 10-0-0 (दस) बीघा विलोपित करने का आदेश पारित किया गया, जो उचित एवं न्यायसंगत है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत वाद के आवेदकों के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल में जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0-08/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 03.05.2019 को अपीलवाद को खारिज कर दिया गया। उक्त के आदेश में समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा पाया गया कि अपीलार्थी के पूर्वज के नाम मौजा-कोरियापट्टी के जमाबंदी पंजी-॥ 1965-66 तक जमाबंदी सं0-417 में मात्र 2-7-8 धूर जमीन दर्ज थी। पुनर्लिखित पंजी-॥ में अंतरलेपन कर 12-7-8 धूर कर दिया गया तथा खाता (पु0)-777, खेसरा(पु0)-3492 की 10-0-0 बीघा जमीन जोड़ दिया गया, जो बिल्कुल गलत है तथा अक्षुण्ण रखे जाने योग्य नहीं है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि मौजा-कोरियापट्टी के पुराना खाता सं0-777, पुराना खेसरा-3492, रकवा 30.52 एकड़ जमीन भूतपूर्व जमीन्दार बाबू विजेन्द्र नारायण सिंह उर्फ भोलो बाबू की गैरमजरूआ मालिकाना थी, जिसका कोई लगान नहीं लगता था। विजेन्द्र नारायण सिंह के वारिसान नागेन्द्र नारायण सिंह एवं शिवेन्द्र नारायण सिंह, पे0-पंचम नारायण सिंह निबंधित विक्रय दस्तावेज

सं0-5297 के द्वारा 10.12.1955 ई0 को विपक्षीगण के दादा कमला प्रसाद सिंह को प्रश्नगत खेसरा 3492 की 3-10-0 कट्ठा जमीन सहित अन्य खेसरा की जमीन मिलाकर 8-6-04 धूर जमीन बेच दिया गया तथा दखल-कब्जा दिला दिया गया। जमीन का कोई लगान नहीं रहने के कारण लगान निर्धारण वाद सं0-04/1956-57 के द्वारा जमाबंदी कायम की गयी, जिसकी जमाबंदी संख्या-1209 वो 1211 वो 1349 को क्रमशः 4077/1209, 4076/1211 वो 5877/1349 के रूप में नये पंजी में पुनर्लिखित किया गया और उसी आधार पर उत्तरवादी के नाम मालगुजारी रसीद निर्गत होता चला आ रहा है। उक्त के आलोक में विपक्षीगण के द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को उचित वैध होने के परिपेक्ष्य में हस्तक्षेप नहीं करते हुए सम्पुष्ट करने तथा इस अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों, उभय पक्ष के द्वारा संलग्न सभी साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं न्यायसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपीलवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

14/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

14/11

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।